2210

संख्या–225/XXVII(6)/2013

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव
   उत्तराखण्ड शासन
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड,
3. मण्डलायुक्त पौड़ी गढ़वाल/कुमायूँ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–6

देहरादूनः दिनॉक 12 अप्रैल, 2013

विषय– राज्याधीन लोक सेवाओं में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार अथवा हड़ताल पर रहने के फलस्वरूप "कार्य नही तो वेतन नहीं" सिद्धान्त लागू किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि राज्याधीन लोक सेवाओं में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया जा रहा है जिससे शासकीय कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है जो कि शासकीय हित में नहीं है।

2– कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–906/XXXV(2)/2012 –55 (47)/2004 टीसी, दिनांक 7 सितम्बर 2012 द्वारा दिनांक 10 सितम्बर 2012 से अपने कार्य पर उपस्थित न होने वाले कार्मिकों को "कार्य नही तो वेतन नहीं" सिद्धान्त के आधार पर कार्य पर अनुपस्थित मानकर वेतन न दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3– उपर्युक्त के सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–259/XXVII(6)/2011 दिनांक 5 जुलाई 2011 एवं शासनादेश सं.या 248/XXVII(7)27(16)/2012 दिनांक 07 सितम्बर 2012 में दिये गये निदेशों के अनुपालन में चतुर्थ श्रेणी के हड़ताली कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया

जाय कि जो कर्मचारी कार्य नहीं कर रहे है उनको उतने दिनों का भुगतान न किया जाय यदि हड़ताली कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान किया जाता है तो उसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी का होगा तथा इसके लिये आहरण वितरण अधिकारी ही उत्तरदायी होंगे। नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्षों के स्तर पर कार्मिकों की उपस्थिति का लगातार पर्यवेक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–225 (1)/XXVII (6)/2013 तद्‌दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव मा0 मुख्य मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड
4. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाए उत्तराखण्ड देहरादून।
5. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी उत्तराखण्ड।
6. निदेशक एन0आई सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर एकक देहरादून ।
7. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव।